कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार।

स्थापना–प्रशाखा

–: शुद्धि–पत्र :–

अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग बिहार पटना के आदेश सं0–593, दिनांक– 23.06.2021 एवं अधिसूचना सं0–610, दिनांक–29.06.2021 के द्वारा जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन कार्य 2019–20 के अनुसार कैम्प के माध्यम से शिक्षक नियोजन हेतु जिला स्तर पर कैम्प स्थल तथा तिथि निर्धारण से संबंधित कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1411 स्था0शि0 दिनांक–01.07.2021 में प्रखण्ड नियोजन इकाई डंडखोरा एवं मनसाही के स्थान पर सिर्फ प्रखण्ड नियोजन इकाई, डंडखोरा पढ़ा जाय।

पत्र में दिए गये शेष निदेश यथावत रहेंगे।

ह0/–

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, कटिहार।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
कटिहार।

ज्ञापांक ______/स्था०शि०, कटिहार, दिनांक _____/_____/2021 ई०।

प्रतिलिपि :– सभी नियोजन इकाई के अध्यक्ष/सदस्य सचिव/संबंधित विद्यालय के प्रधान/सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा)/संबंधित प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि कैम्प स्थल पर माईक एवं विडियोग्राफी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे जिसका भुगतान विपत्र जमा करने के उपरान्त किया जायेगा।

ह0/–

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्थापना, कटिहार।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक 1425/स्था०शि०, कटिहार, दिनांक 02/07/2021 ई०।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकार/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि कैम्प स्थल पर विधि व्यवस्था के संधारण हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाय।

02-07-2021

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्थापना, कटिहार।
02/7/21

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
कटिहार।

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार।

स्थापना–प्रशाखा

–: कार्यालय आदेश :–

अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग बिहार पटना के आदेश सं0–593, दिनांक–23.06.2021 एवं अधिसूचना सं0–610, दिनांक–29.06.2021 के द्वारा जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में सामान्य/उर्दू एवं बंगला विषयों में संशोधित शिक्षक नियोजन नियमावली वर्ष 2019–20 के अनुसार कैम्प के माध्यम से शिक्षक नियोजन हेतु जिला स्तर पर एवं कैम्प स्थल तथा तिथि का निर्धारण करते हुए नियोजन की कार्रवाई पूर्ण करने का निदेश प्राप्त है। विभागीय ज्ञापांक–593, दिनांक–23.06.2021 एवं अधिसूचना सं0–610, दिनांक–29.06.2021 के द्वारा पूर्व में सभी नियोजन इकाईयों में उपलब्ध करायी जा चुकी है।

इस क्रम में नियोजन हेतु कैम्प के लिए समय 10:30 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक तिथिवार कार्यक्रम का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है :–

जिला स्तर पर निर्धारित कैम्प स्थल				
क्र0 सं0	कैम्प स्थल का नाम	तिथि	वर्ग	नियोजन इकाई का नाम
1	बी0एम0पी0–07, उ0वि0 कटिहार	05.07.2021	6–8 के लिए	नगर निगम कटिहार
2	बी0एम0पी0–07, उ0वि0 कटिहार	05.07.2021	6–8 के लिए	नगर पंचायत मनिहारी
3	बी0एम0पी0–07, उ0वि0 कटिहार	05.07.2021	6–8 के लिए	नगर पंचायत बारसोई
4	बी0एम0पी0–07, उ0वि0 कटिहार	06.07.2021	1–5 के लिए	नगर निगम कटिहार
5	बी0एम0पी0–07, उ0वि0 कटिहार	06.07.2021	1–5 के लिए	नगर पंचायत मनिहारी
6	बी0एम0पी0–07, उ0वि0 कटिहार	06.07.2021	1–5 के लिए	नगर पंचायत बारसोई
7	बी0एम0पी0–07, उ0वि0 कटिहार	07.07.2021	6–8 के लिए	प्रखण्ड नियोजन इकाई डंडखोरा एवं मनसाही
8	बी0एम0पी0–07, उ0वि0 कटिहार	08.07.2021	1–5 के लिए	प्रखण्ड नियोजन इकाई डंडखोरा एवं मनसाही

विभागीय निदेशानुसार संबंधित नियोजन इकाई द्वारा उपरोक्त निर्धारित तिथि के अनुसार कैम्प स्थल पर उपस्थित हो कर कैम्प के माध्यम से नियोजन की कार्रवाई पूर्ण की जायेगी।

संबंधित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि कैम्प स्थल पर नियोजन की सूचना प्रकाशित किया जाय। साथ ही काउन्सिलिंग स्थल पर कोविड–19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

विभागीय निदेश के आलोक में कैम्प की तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व मेधा सूची एवं रिक्ति का प्रकाशन कार्यालय सूचना पट्ट एवं जिले के एन0आई0सी0 के वेबसाईट पर अपलोड नियोजन इकाई द्वारा किया जायेगा।

उक्त काउन्सिलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति से संबंधित मूल प्रमाण पत्रों यथा मैट्रिक का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र, इण्टर का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र, स्नातक का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र, शिक्षक प्रशिक्षण का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र टी0ई0टी0 उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यथा आवश्यक), आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। प्रत्येक काउन्सिलिंग के अगले दिन नियोजन इकाई चयनित अभ्यर्थियों के सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अपने जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना) को उपलब्ध करायेगें। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना) द्वारा उन सभी प्रमाण पत्रों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराकर उनका सत्यापन सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित करेंगे। सत्यापन के उपरान्त नियोजन इकाई द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का नियोजन पत्र निर्गत किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्रों का संधारण नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना) द्वारा किया जायेगा।

यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के आधार पर एक से अधिक नियोजन इकाईयों में नियोजन का प्रयास किया जायेगा तो उनका अभ्यर्थित्व किसी भी नियोजन इकाई अन्तर्गत नियुक्ति हेतु निरस्त कर दिया जायेगा।

ह0/-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्थापना, कटिहार।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक ______/स्था०शि०, कटिहार, दिनांक _____/_____/2021 ई०।

प्रतिलिपि :– सभी नियोजन इकाई के अध्यक्ष/सदस्य सचिव/संबंधित विद्यालय के प्रधान/सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा)/संबंधित प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि कैम्प स्थल पर माईक एवं विडियोग्राफी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे जिसका भुगतान विपत्र जमा करने के उपरान्त किया जायेगा।

ह0/-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्थापना, कटिहार।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक ______/स्था०शि०, कटिहार, दिनांक _____/_____/2021 ई०।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकार/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि कैम्प स्थल पर विधि व्यवस्था के संधारण हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाय।

ह0/-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्थापना, कटिहार।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक 1411/स्था०शि०, कटिहार, दिनांक 01/07/2021 ई०।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसे जिला के वेबसाईट पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्थापना, कटिहार।
01/7/21

01-07-2021
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
कटिहार।